न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1051-पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-12-16 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 688/अपील/14-15

भेरू पिता सुरजा मृत वारिसान
1-रामूबाई पति भेरूसिंह
2-रमेश पिता भेरूसिंह
3-तेजू पिता भेरूसिंह
4-मुंशी पिता भेरूसिंह
5-कमल पिता भेरूसिंह
निवासीगण ग्राम करजु तहसील मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला शाजापुर .....अनावेदक

श्री अखलाक कुरैशी एवं श्री ए0आर0यादव, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आत्माराम पिता कन्हैयालाल द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत किया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष1975 में ग्राम सुनारखेडी तहसील मो0बडोदिया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 33 में से रकबा 1.014 हेक्टेयर भेरू पिता सूरजा चमार को पटटे पर दी थी एवं उक्त पट्टे की शर्त क्रमांक 7 अनुसार उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से बिक्री भेंट बंधक या अन्य प्रकार से अंतरित न करने की शर्त प्रदान की गई थी किन्तु भेरू द्वारा पट्टे की शर्त क्रमांक 7 का उल्लंघन करते हुये उक्त पट्टे पर प्राप्त भूमि सीताराम पिता दौलादास बैरागी को दिनांक 16-8-1980 को विक्रय कर दी है एवं भूमि का कब्जा सीतारामदास को प्रदान कर दिया है जिसके पश्चात न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25-11-1994 द्वारा भेरू को पट्टे की भूमि को विक्रय करना पाया गया है वर्तमान में भेरू की की मृत्यु हो चुकी है । स्व0भेरू की पत्नी व पुत्र है । इस प्रकार भेरू द्वारा शासकीय पट्टे की भूमि को पट्टे की शर्त का उल्लंघन करके अन्य व्यक्ति को विक्रय करने से भेरू को दिया गया पट्टा निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 22-6-2015 को आदेश पारितकर आवेदक को दिया गया पट्टा निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-12-16 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के पति व पिता स्व0भेरू द्वारा पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया गया है परन्तु बिना किसी आधार के विवादित भूमि विक्रय करना बताकर आवेदक के पट्टे को निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता किसी भी प्रकार से उक्त भूमि को हडपने के प्रयास में होने के कारण झूठी शिकायत की गई है, जबकि फर्जी दस्तावेज बनाकर स्व0भेरू द्वारा विक्रय अनुबंध करना दर्शाया है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा कि पूर्व में शिकायतकर्ता सीताराम द्वारा स्व0 भेरू के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली गई है परन्तु उक्त डिक्री दिनांक 16-2-2005 को निरस्त कर दी गई है जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जो दिनांक 7-4-06 को निरस्त कर दी गई है इस प्रकार झूठी शिकायत को आधार बनाकर आवेदक का पट्टा निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण हरिजन व्यक्ति है तथा और कोई भूमि

उनके पास नहीं है वह पूरी तरह से प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि पर ही निर्भर है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि को किसी भी व्यक्ति को विक्रय नहीं किया गया है और ना ही विक्रय संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत हुआ है । इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टे की भूमि का कब्जा वापिस दिये जाने के आदेश देने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक का पट्टा, उसका कब्जा न होने से कलेक्टर ने निरस्त कर दिया । कलेक्टर ने यह नहीं देखा कि आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय तक लड़कर अपनी भूमि पर दूसरे पक्ष का दावा निरस्त कराया । कब्जे के लिये भी उसने तहसील न्यायालय में आवेदन दिया । तहसील न्यायालय ने कब्जे का आदेश भी दिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में निरस्त कर दिया । स्पष्ट है कि कलेक्टर/अपर आयुक्त ने आवेदक के उक्त वैधानिक प्रयासों को नहीं देखा । कलेक्टर को चाहिये था कि वह आवश्यक होने पर अनुविभागीय अधिकारी के कब्जा न देने के आदेश को रिव्यु/सोमोटो रिवीजन में लेकर आवेदक पक्ष को कब्जा दिलवाते, न कि पट्टा निरस्ती की कार्यवाही करते । अत: इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यक है कि कलेक्टर / अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह पुन: सभी तथ्यों को देखकर निर्णय लेवें।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि. 21-12-2016 एवं कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-6-2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में पुन: सभी तथ्यों को देखकर निर्णय करने के लिये कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर